राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1144/2014/झुन्झुनू

सूबेदार श्री ओमप्रकाश
हाल निवासी सी–6, हाथोज करधानी विस्तार स्कीम,
स्पेन्डर होम के सामने, सुशान्त सिटी, कालवाड रोड, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

ओमप्रकाश सूबेदार स्वयं। .....अपीलार्थी
श्री डी.पी.ओझा, उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 27.03.2014 जो अपील संख्या 31/आरवेट/झुन्झुनू/2013–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें अपीलार्थी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, झुन्झुनू (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"**) कहा जायेगा, द्वारा Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत पारित निर्धारण आदेश को यथावत रखते हुए व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने को विवादित किया गया है ।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत है तथा वर्तमान में उसका पदस्थापन बरेली (यू.पी.) में है। अपीलार्थी ने उनको अधिकृत सीएसडी (मिलिट्री केन्टीन) से नियमानुसार दिनांक 04.11.2012 को एक कार खरीदी, जिसके लिये वो करमुक्ति के पात्र थे। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 2059–नं0 एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–7 दिनांक 13.04.2006 के अनुसार केन्टीन से खरीदा गया माल करमुक्त है। अपीलार्थी ने सीएसडी से कार खरीद कर उसका परिवहन विभाग में पंजीयन झुन्झुनू में करवाया, क्योंकि अपीलार्थी का मूल निवास झुन्झुनू का था। अपीलार्थी की कार का रजिस्ट्रेशन संख्या आरजे–01–सीए–8095 है एवं उसने स्वयं के नाम से जिला परिवहन अधिकारी, झुन्झुनू के समक्ष दिनांक 29.1.2013 को पंजीयन करवाया। कर निर्धारण अधिकारी ने कार की मालियत 5,01,359/– निर्धारित करते हुए उस पर अधिनियम की धारा 4(2) के तहत कर रू. 75,204/– अपने आदेश दि. 28.1.2013 द्वारा आरोपित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27.3.2014 द्वारा अपील को अस्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश सूबेदार ने कथन किया कि वे भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत है एवं तत्समय उनका पदस्थापन बरेली में था। भारत सरकार, थल सेना के नियमानुसार उन्होंने सैन्य अधिकारियों को उपलब्ध सेवाओं का उपयोग करते हुए सीएसडी से स्वयं के नाम कार क्रय की एवं उक्त कार क्रय करने हेतु वे अधिकृत थे।

लगातार.....2

चूंकि उनका मूल निवास झुन्झुनू (राजस्थान) में है इसलिये उन्होंने कार का पंजीकरण जिला परिवहन अधिकारी, झुन्झुनू के समक्ष करवाया एवं टीसीसी जारी करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को निवेदन किया। कर निर्धारण अधिकारी ने उन पर 75204/– का करारोपण किया, जो अविधिक है। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 2059–नं0 एफ. 12(63)एफडी/टैक्स/2005–7 दिनांक 13.04.2006 के अनुसार सीएसडी से खरीदा गया माल करमुक्त है। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि वे भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित रहे है। अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष अण्डर प्रोटेस्ट जमा करवाई गई राशि रूपये 75,204/– उनको लौटाते हुए उनकी अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी ने उचित आधार पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है, उन्होंने दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, कर निर्धारण आदेश तथा अपीलीय आदेश विधिसम्मत पारित होने के कारण अपील अपास्त योग्य है।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। उद्धरित निर्णयों एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्वयं भारतीय सेना में अधिकारी के पद पर नियुक्त है, जिसका प्रमाण पत्र संख्या 22901/संस्था, स्टेशन वर्क शॉप ईएमई बरेली के ले0कर्नल श्री वी.के.शर्मा द्वारा जारी किया हुआ है एवं भारत के राष्ट्रपति महामहित श्री अब्दुल कलाम द्वारा अपीलार्थी को दिये गये पत्र का उल्लेख निम्नानुसार है :–

भारत का राष्ट्रपति

ओमप्रकाश को मेरी शुभकानाएं :

मैं, आपकी. वफादारी, साहस और सदाचार में विशेष आस्था और विश्वास रखता हूँ और इस विलेख द्वारा आपको तारीख 01.01.2002 से नियमित सेना में नायब सूबेदार के रैंक में **कनिष्ठ आयुक्त आफिसर** के रूप में प्रतिष्ठापित और नियुक्त करता हूँ।

मैं, आपको आज्ञा और समादेश देता हूँ कि आप उक्त रैंक में या किसी ऐसे उच्चतर रैंक में जिसमें आपकी समय–समय पर प्रोन्नति या नियुक्ति की जाए, और जिसकी अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए, अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परता से निर्वहन करें और ऐसे निर्देशों का पालन करें जो आपको मुझसे या आपके किसी वरिष्ठ आफिसर से समय–समय पर मिलें तथा नियमित सेना को लागू नियमों, विनियमों और आदेशों का पालन और निष्पादन करें।

मै, आपके अधीनस्थ आफिसरों और व्यक्तियों को भी इसके द्वारा आज्ञा और समादेश देता हूँ कि वे अपने वरिष्ठ आफिसर के रूप में आपका सम्यक आदर करें और आपकी आज्ञा का पालन करें।

यह आयोग आज शक संवत् एक हजार नौ सौ पन्द्रह के वैशाख मास के ग्यारहवें दिन तदनुसार सन् दो हजार तीन के मई मास के पहले दिन नई दिल्ली में अनुदत्त किया गया।

ह0
(अब्दुल कलाम)
भारत का राष्ट्रपति
अतिरिक्त महानिदेशक जन–शक्ति योजना
सेना मुख्यालय

पंजीयन सं. जे.सी0 756580y

लगातार.....3

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.05.2004 का उल्लेख निम्नानुसार है :–

RAJ TAX ON ENTRY OF M.V. INTO LOCAL AREAS RULES, 1992
"4. Notification No. F. 4(33) FD/Tax/87-6 dated 24.05.2004, S.O. 31.- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 (Act No. 14 of 1988), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest to do so, hereby exempts from tax, the vehicles purchased through Canteen Stores Department (CSD) and brought into the State, by the Defence Services Officers, on the condition that such vehicles are registered in the State and the tax payable at the time of registration of these vehicles in the State has been to the State Government.
[Pub. in raj. Gaz. Ex-ord., Pt.-4(Ga)(II), dated 26.05.2004]"

उपरोक्त वर्णित आधारों एवं अधिसूचना से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी सीएसडी से कार क्रय करने हेतु अधिकृत था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाये गई कर राशि रूपये 75,204/– अनुचित रूप से आरोपित की गई है, **अतः कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जाता है एवं अपीलार्थी द्वारा जमा कराई गई अण्डर प्रोटेस्ट कर राशि 75,204/– रूपये अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।**

7. निर्णय सुनाया गया।

18.5.2017
(मदन लाल)
सदस्य